पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एव हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15. दिनांक– 07/05/2025.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– *आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा)" के तहत कुल ₹ 2998.9960 लाख (उनतीस करोड़ अंट्ठानबे लाख निन्यानबे हजार छः सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में "तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा)" के तहत कुल ₹ 2998.9960 लाख (उनतीस करोड़ अंट्ठानबे लाख निन्यानबे हजार छः सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III(क), III(ख), III(ग), IV एवं V के रूप में संलग्न।

2. इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के मत्स्य कृषकों को विशेष सहायता के तहत रियरिंग तालाब निर्माण, बोरिंग पम्पसेट/समरसेबुल का अधिष्ठापन, मत्स्य इनपुट, शेड का निर्माण, यांत्रिक एरेटर आदि सम्बद्ध सहायक इकाईयों का एक "पैकेज सहायता" प्रदान किया जाना है। इससे न केवल आजीविका (खादय एवं प्रोटीन सुरक्षा) का साधन उपलब्ध हो सकेगा बल्कि इस वर्ग के मत्स्य पालकों को रोजगार एवं आमदनी का एक ठोस विकल्प भी उपलब्ध हो सकेगा।

3. योजना के क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने की संभावना है –
   (i) पैकेज सहायता के द्वारा तालाब मात्स्यिकी को अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों के लिए एक ठोस आधार प्रदान होगा।
   (ii) पैकेज सहायता के द्वारा तालाब मात्स्यिकी से विविध मत्स्य उत्पाद (यथा–मछली, झींगा, बीज आदि) का उत्पादन सुलभ हो सकेगा।
   (iii) मत्स्य उत्पादों की विविधता से किसानों की आमदनी सुनिश्चित होगी।
   (iv) इससे पूर्णकालिक रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकेगा।
   (v) इससे जलवायु अनुकूल मात्स्यिकी को बढ़ाने में सहायक होगी।

4. प्रस्तावित पैकज योजना के तहत रियरिंग तालाब निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन पर अधिकतम ₹ 10.10 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र (इकाई लागत) तथा न्यूनतम मो0 5.72 लाख प्रति यूनिट (एक यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत

आकलित है। योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागात पर 70 प्रतिशत राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में देय है तथा कुल 749 पैकेज इकाई अर्थात् कुल 299.60 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब विकसित होने की संभावना है। इस पर कुल ₹2998.9960 लाख (उनतीस करोड़ अंट्ठानबे लाख निन्यानबे हजार छः सौ) राशि सब्सिडी के रूप में व्यय होने का अनुमान है।

5. योजना का रूप–रेखा एवं संक्षिप्त विवरणी :–

(i). तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी।

(ii). इस योजना के तहत एक पैकेज के रूप में रियरिंग तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्पसेट/समरसेबुल का अधिष्ठापन, निर्मित तालाब हेतु उन्नत इनपुट, यांत्रिक एरेटर की अधिष्ठापन एवं शेड का निर्माण किया जाएगा।

(iii). योजनान्तर्गत समेकित रूप से तालाब के निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन/निर्माण पर अधिकतम 10.10 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 5.72 लाख प्रति युनिट (एक यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत आकलित है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III (क), III (ख) एवं III (ग) संलग्न) जिसपर 70 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि की अनुमान्यता होगी। शेष राशि तथा निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर भी अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जायेगा।

(iv). एक व्यक्ति/परिवार को योजनान्तर्गत अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र (एक यूनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई के तहत अनुदान राशि का लाभ देय होगा।

(v). इस योजनान्तर्गत राज्यकेअति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभुको के लिए पैकेज के तहत क्रमशः 123.6 एकड़ जलक्षेत्र (309 यूनिट), 120 एकड़ जलक्षेत्र (300 यूनिट) तथा 56 एकड़ जलक्षेत्र (140 यूनिट) अर्थात कुल 299.6 एकड़ जलक्षेत्र (749 यूनिट) में तालाब निर्माण किया जायेगा तथा कुल ₹ 2998.996 लाख राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–I एवं II संलग्न)। साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से लगभग अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 309, 300 तथा 140 कृषक अर्थात कुल 749 कृषक लाभान्वित होंगे।

6. आहर्त्ता एवं संलग्न किए जाने वाले कागजात :–

(क) राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति जिसके पास निजी/लीज की भूमि उपलब्ध हो, इस योजना के तहत आवेदक होंगे।

(ख) आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि का फोटोग्राफ स्पष्ट लैंड–मार्क/विभेदक–चिन्ह के साथ हो ताकि निरीक्षण के क्रम में सम्बद्ध योजना हेतु प्रस्तावित भूमि की पहचान की जा सकें।

(ग) आवेदन पत्र में लाभुको का मोबाईल नं० तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड अंकित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/आधार कार्ड नं०/राशनकार्ड नं०/मतदाता पहचान पत्र/जमीन का नक्शा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

(घ) लाभुकों को आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ङ़) योजनान्तर्गत तालाब निर्माण हेतु लाभुक को निजी/लीज पर भूमि होना आवश्यक है। तालाब के निजी स्वामित्व हेतु भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन मालगुजारी रसीद, लीज के भूमि में लीज का निबंधित एकरारनामा/नन-जूडिशीयल स्टांप (1000/- रूपये) पर एकरारनामा (न्यूनतम 09 वर्ष का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवयश्क होगा। नन-जूडीसीयल स्टांप पर एकरारनामा के मामले में भू-स्वामी/स्वामियों से भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(च) साथ ही, आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी) समर्पित करना होगा कि उनके द्वारा तालाब निर्माण (सभी अवयवों सहित) के कार्य हेतु निजी/लीज पर ली गई भूमि विवाद रहित हैं। निजी अथवा लीज पर ली गई भूमि विवादित रहने पर आवेदक को योजना का लाभ देय नहीं होगा।

7. लाभुकों का चयनः-

(क) मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन/विभागीय वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित कर, विहित प्रपत्र में ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा। लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत मत्स्य निदेशालय स्तर से पोर्टल खोलकर पुनः ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त शेष आवेदन-पत्रों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसका आगामी वित्तीय वर्ष में सदृश्य योजना हेतु प्राथमिकता के तहत मान्य किया जाएगा।

(ख) योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन पत्रों को ससमय जाँच एवं लाभुकों के चयन करते कार्यादेश निर्गत करने हेतु यह आवश्यक है कि प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्रतिदिन डाउनलोडिंग, साप्ताहिक जाँच तथा कट-ऑफ तिथि (प्रत्येक माह का अंतिम दिन) के पश्चात योग्य लाभाथियों के चयन हेतु परिक्षेत्रन्तर्गत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) चयनोपरांत चयनित लाभाथियों को कार्यादेश निर्गत कर, इससे सम्बन्धित सूचि कार्यालय के सूचनापठ पर प्रदर्शित की जाएगी। शेष लक्ष्य की उपलब्धी हेतु दूसरे चरण की विज्ञापन के पश्चात् (लक्ष्य से कम आवेदन होने पर) प्राप्त आवेदन-पत्रों एवं प्रथम चरण के त्रुटि सुधार आवेदन पत्रों को जाँचोपरांत चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत योग्य आवेदक को कार्यादेश निर्गत की जाएगी।

(घ) त्रुटि सुधार हेतु आवेदक को एक पक्ष का समय दिया जाएगा तत्पश्चात् त्रुटिरहित आवेदक-पत्रों को चयन हेतु विचार किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदन होने पर प्रतिक्षा सूची तैयार कर संधारित की जाएगी।

(ङ़) योजनान्तर्गत लक्ष्य से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा सभी आवेदक आवश्यक आहर्ताओं को पूर्ण करते हो, तो मत्स्य पालन तकनीक में प्रशिक्षण प्राप्त तथा जिला मत्स्य कार्यालय में विधिवत पहले वांछित त्रुटि-रहित वैध

दस्तावेज/कागजात के साथ पूर्ण आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

8. सब्सिडी भुगतान :–

(i). योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान दो किस्तों में की जाएगी।

(ii). तालाब निर्माण के उपरांत कुल देय सब्सिडी का 60 प्रतिशत राशिप्रथम किस्त तथा संबद्ध इकाईयों के अधिठापन/निर्माण एवं इनपुट सामाग्रियों के क्रय के उपरांत शेष 40 प्रतिशतसब्सिडी की राशि द्वितीय किस्त के रूप में लाभार्थी के द्वारा अभिश्रव/प्रमाणकके साथ विधिवत दावा–पत्र कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात, क्षेत्रीय प्रभारी/कनीय अभियंता द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन एवं अनुदान समिति के अनुशंसा के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(iii). योजनान्तर्गत पैकेज इकाई के तहत अगर लाभुक द्वारा 0.4 एकड़ जलक्षेत्र से अधिक तथा एक एकड़ जलक्षेत्र से कम जलक्षेत्र का तालाब का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लाभुक को उक्त तालाब के निर्माण तथा निर्मित तालाब हेतु उन्नत इनपुट पर देय अनुदान की भुगतान समानुपातिक लागत दर पर गणना कर किए जाने की अनुमान्यता होगी।

(iv). योजनान्तर्गत न्यूनतम 0.4 एकड़ से अधिकतम एक एकड़ तक के जलक्षेत्र के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई के तहत केवल एक टयूब्वेल एवं पंपसेट/समरसेबुल का अधिष्ठापन, एक यांत्रिक एरेटर की व्यवस्था तथा एक शेड के निर्माण अवयवों पर देय सब्सिडी राशि की भुगतान की अनुमान्यता होगी।

9. अन्य क्रियान्वयन अनुदेश :–

(क) योजनान्तर्गत तालाब का निर्माण (सभी अवयवों सहित) से संबंधित कार्यो पर वास्तविक व्यय तथा निर्धारित इकाई लागत दोनो में जो भी न्यूनत्तम हो के आधार पर अनुमान्य सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण से किया जाएगा।

(ख) योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान (दोनो किश्तों का) उप मत्स्य निदेश्क की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(ग) योजना के तहत लाभुकों के द्वारा एक शपथ पत्र दी जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि योजनान्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों किश्त सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के पश्चात् अगर उनके द्वारा कतिपय कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी राशि वसूलनीय होगी। इस हेतु उनके विरूद्ध नीलामपत्र–वाद दायर की जायेगी।

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में जिलों को आवंटित वित्तीय राशि (लक्ष्य) में से अगर अव्यवहृत शेष राशि की बचत होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस जिला को योजनान्तर्गत निहित प्रावधान एवं शर्ते को दृष्टिपथ में रखते हुए परिक्षेत्रन्तर्गत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति की अनुमति से उक्त अव्यवहृत शेष राशि को व्यय करने की अनुमान्यता होगी। परन्तु योजनान्तर्गत पैकेज के तहत निर्धारित न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र (एक

यूनिट =0.4 एकड़ जलक्षेत्र) से कम जलक्षेत्र के तालाब निर्माण से सम्बन्धित आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ड़) इस योजना का लाभ उन्हीं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अति पिछड़ी जाति के कृषकों को देय होगा जो गत वर्ष अथवा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत/कार्यान्वित पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित योजना तथा मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के तहत सदृश्य अवयवों का लाभ प्राप्त नहीं किये हों।

(च) चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत (2023–24 से 2027–28) इस योजनान्तर्गत जितने आवेदन जिलों में अव्यवहृत हो उसे "आवेदनों के एक पूल" के रूप में संधारित कर इच्छुक योग्य लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष तथा बाद के वर्षों में क्रियान्वित सदृश्य योजना में कार्यादेश दिया जा सकेगा। इसके लिए जिलों में योग्य आवेदकों की अनुमोदित प्रतीक्षा सूची संधारित की जाएगी।

(छ) योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों की गणना संचयात्मक (cumulative) रूप से की जाएगी जो चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) में (तालाब निर्माण) निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप होगा। इससे गत वर्ष के लक्ष्यों को संचयी (cumulative) रूप में रोड मैप अवधि तक पूरा करने में सहूलियत होगी।

(ज) योजनान्तर्गत अगर लाभार्थी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया हो तो गत वर्ष के कार्यादेश को रद्द कर योग्य आवेदनों के पूल में से संचयी लक्ष्य के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में कार्यादेश निर्गत कर विगत वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

10. तालाब पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4 फीट x 3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिस पर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा :–

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
मत्स्य निदेशालय, पटना

योजना का नाम एवं वर्ष–
योजना अवयव का नाम–
लाभुक का नाम एवं पता–
प्राक्वलित/लागत राशि–
सब्सिडी की राशि–
आच्छादित जलक्षेत्र आदि–

सामग्रियाँ यथा– पंपसेट/समरसेबुल, यांत्रिक एरेटर एवं शेड के उचित स्थान पर निम्न विवरणी होगा –

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)
बिहार सरकार
द्वारा
आर्थिक सहायता से प्रदत्त

11. उपर्युक्त वर्णित योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति, लाभुकों का चयन, सब्सिडी भुगतान की अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन

में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए सुझाव समय–समय पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

(i) उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र	– अध्यक्ष
(ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	– सदस्य सचिव
(iii) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य
(iv) कनीय अभियंता	– सदस्य
(v) मत्स्य विकास पदाधिकारी	– सदस्य

उक्त समिति प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार बैठक आहूत करेगी।

12. योजनान्तर्गत जिलावार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–V** के रूप में संलग्न है।
13. इस योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा।
14. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से दिशा–निदेश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।
15. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।
16. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जा सकेगा।
17. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
18. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता :–

(क) योजना के तहत अति पिछड़ी जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ख) योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ग) योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों के लिए स्वीकृत राशि का व्यय हेतु विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप

शीर्ष–0109 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007960109, विषय शीर्ष–0109.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

19. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

20. दिनांक–25.04.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति चालू स्कीम के तहत प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)05/2023 के पृष्ठ 97–96/प०.

21. चुकि यह स्कीम चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)05/2023 के पृष्ठ–46/टि० दिनांक–30.04.2025.

22. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)05/2023 के पृष्ठ–45/टि० तथा डायरी संख्या–201, दिनांक–29.04.2025.

23. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

5/5/25

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)05/2023– 1983 /पटना–15, दिनांक–07/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना'' पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र0	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत युनिट (1 युनिट– 0.4 एकड जलक्षेत्र)	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104. ***(अति पिछड़ी जाति)***	0104– 33.01– सब्सिडी	309 यूनिट (123.6 एकड़)	1237.236	निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, बिहार (सभी)
2	मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007890101.	0101– 33.01– सब्सिडी	300 यूनिट (120 एकउ़)	1201.20		
3	मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0109 –मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड 02–2405007960109.	0109– 33.01– सब्सिडी	140 यूनिट (56 एकड़)	560.56		
		योग :–	**749 यूनिट (299.60 एकड़)**	**2998.9960**		

कुल (उनतीस करोड़ अंट्ठानबे लाख निन्यानबे हजार छः सौ) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

1983
07/05/2025

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2025–26 में तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना हेतु वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना' (अनुदान 70 प्रतिशत)

राज्य योजना

(इकाई लागत 5.72 लाख/प्रति यूनिट (1 युनिट–0.4 एकड़ जलक्षेत्र)

क्र0	अतिपिछड़ा जाति (विपत्र कोड 02–2405001010104 विषय शीर्ष–0104.33.01 –सब्सिडी मद)				अनु0 जाति (विपत्र कोड 02–2405007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 –सब्सिडी मद)				अनु0 जनजाति (विपत्र कोड 02–2405007960109 विषय शीर्ष–0109.33.01 –सब्सिडी मद)				कुल युनिट (सं0)	कुल जलक्षेत्र (एकड़)	कुल अनुदान
	युनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि	सब्सिडी	युनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि	सब्सिडी	युनिट (सं0)	जलक्षेत्र (एकड़)	राशि	सब्सिडी			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	309.00	123.6000	1767.4800	1237.2360	300.00	120.0000	1716.0000	1201.2000	140.00	56.0000	800.8000	560.5600	749.0000	299.6000	**2998.9960**

5/8/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1983
07/08/2025

अनुलग्नक–III(क)

"तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना" (SC/ST/EBC) के तहत विभिन्न अवयवों पर व्यय विवरणीः–

(Water Area – 01 Acre)

क्र0	अवयव	अनुमानित व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1.	Cost of construction of pond of 01 Acre (water area) and depth 05 ft. Mechanical means.	5.70	
2.	Deep Tubewell &Pumpset (2Hp)	1.20	
3.	Shed with tubular pipe and profile sheet	1.00	
4.	Input Cost @4Lakhs/h for 01 Acre water area	1.60	
5.	Mechanical Aerator	0.50	
6.	Miscellaneous expenditure (L.S)	0.10	
Total		10.10	
Say – 10.10 Lakh (Ten lakh Ten thousand only)			

Note :- The above cost of items are indicative & during construction actual cost of items may vary and interchangeable within the stipulated cost.

अनुलग्नक–III(ख)

पैकेज के तहत प्रति यूनिट इकाई (1 यूनिट=0.4 एकड़ जलक्षेत्र) व्यय :–

क्र0	अवयव	अनुमानित व्यय (लाख में)	अभ्युक्ति
1.	Cost of Construction of Pond (For 0.4 Acre water area)	2.28	
2.	Deep Tubewell &Pumpset (2Hp)	1.20	
3.	Shed with tubular pipe and profile sheet	1.00	
4.	Input Cost (For 0.4 Acrewater area)	0.64	
5.	Blower/ Aerator	0.50	
6.	Miscellaneous expenditure (L.S)	0.10	
Total		**5.72**	
Lakh (Five lakh Seventy two thousand only)			

नोट :– उपर्युक्त व्यय विवरणी पैकेज सहायता के तहत न्युन्तम अनुमान जलक्षेत्र के आधार पर आकलित है, जिसके अनुसार जिलों को लक्ष्य दिया गया है।

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1983
07/05/2025

अनुलग्नक–III (ग)

Input cost for pond fisheries						
Model estimate for advance inputs schemes for pond fisheries of 1 hectare of water area (For 01 Acre – 1.60 Lakhs)						
Operational Input Cost for one crop (one year) 2.50 Acre or 1 Hectare water area.						
Sl.no.	Items	Quantity / Hectare	Unit	Net Quantity	Rate	Amount
1	2	3		4	5	6
A	Fish Seed-					
1	Advance fingerlings Size ≥ 50 gms.6000 nos = 300 K.G.	300.00	K.G.	300.00	300.00 (Including transportation)	90000.00
B	Manuring & fertilization-					
2	Liming	400.00	K.G.	400.00	20.00	8000.00
3	De-oiled mustered oil cake	0.500	Ton	0.50	20000.00	10000.00
C	Formulated commercial feed					
4	Sinking pellet Feed	2500.00	K.G.	2500.00	34.00	85000.00
5	Floating Feed (for last qr.)	3500.00	K.G.	3500.00	46.00	161000.00
C	Chemical & Medicines					
6	KMnO4, Probitics, Mineral mixture, Therapeutic agent etc.			L.S	35000.00	35000.00
7	Miscellaneous			L.S	11000.00	11000.00
					Total-	400000.00

नोट– उपर्युक्त वर्णित घटक/अवयव तथा उसका मूल्य सांकेतिक एवं सब्सिडी आकलन के लिए है। वास्तविक घटक/अवयव एव मूल्य में निर्धारित कुल राशि 4.0 लाख के अन्तर्गत परिवर्त्तन हो सकता है।

7/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव

1983
07/05/2025

अनुलग्नक - IV / VII

प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– एक एकड़ जलक्षेत्र के तालाब निर्माण का मॉडल प्राक्कलन।

कुल प्राक्कलित राशि :– मो0 10,00,000.00 (मो0 पंद्रह लाख) रुपये मात्र।

यह प्राक्कलन विभिन्न जिले में अनुमान्य अनुदान पर 1 एकड़ जलक्षेत्र का तालाब के निर्माण कार्य में आने वाली अनुमानित लागत के लिए तैयार किया गया है। इस कार्य हेतु कुल 1.20 से 1.50 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। तालाब की गहराई जमीन तल से औसतन 5'0" एवं ढाल 1:1.5 रखी गई है। खुदाई से प्राप्त मिट्टी के अधिकांश मात्रा का प्रयोग इसके बॉधों के निर्माण में किया जायेगा।

यह मॉडल बिहार के सभी क्षेत्र के लिये बनाया गया है जहॉ न्यून्तम खुदाई 5 फीट से 6 फीट की आवश्यकता है ताकि मछलीपालन के साथ–साथ वर्षा के जल को संचय कर भू–गर्भ के जल स्तर को उपर उठाया जा सकेगा। पूरे वर्ष मछलीपालन किया जा सके इसके लिये एक 2 एच0 पी का पम्पसेट तथा एक ब्लोअर/ एयरेटर का भी प्रावधान किया गया है। मो0 4.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक एकड़ हेतु मो0 1.60 लाख रुपये का भी प्रावधान किया गया है। एक प्रोफाइल शीट से बना शेड का भी प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन में अनुमान्य लेबर शेष, संवेदक लाभांश एवं ओभरहेड चार्ज की कटौती कर ली गई है।

प्राक्कलन की दरें जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के दिनांक– 20/10/2020 से प्रभावी अनुसूचित दर से लिया गया है।

Sd/- 19/5/23
(संजय कुमार)
कनीय अभियंता
मत्स्य निदेशालय
बिहार, पटना।

Sd/- 19/5/023
A.E.

Scanned with OKEN Scanner

Abstract of Cost			
Model Project for Construction of New Pond of 1 Acre Water Area by Rajashthani Tractor.			
Sl. No	Particulars	Cost (Rs.)	Remarks
1	Const of Pond of water area 1 acre and depth 5'-0" by mechanical means.	570000.00	
2	Deep Tubewell and Pump	120000.00	
3	Shed with Tubelar pipe and profile sheet-	100000.00	
4	Input cost @ Rs 4.00 Lakh per Hect. for 1 Acre	160000.00	
5	Blower/ Aerator	50000.00	
	Total-	1000000.00	
Total Estimated Cost is Rs Ten Lacs Only.			

19/05/2023
J.E; Mcf
Patna

19/5/2023
A.E

Scanned with OKEN Scanner

Model Project for Construction of New Pond of 1 Acre Water Area by Rajashthani Tractor.

Sl.	Item	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
	5.1.1	Preperation of seat of embankment of canals by 75 mm ploughing and removing the grass roots etc. as per specification and direction of E/I.				
		No / Av.Length(L) / Av. Breadth (B)				
	E-W	2 X (248 ' 0 " + 248 ' 0 ") / 2 X (28 ' 0 " + 28 ' 0 ") / 2	13888.00	Sft		
	N-S	2 X (228 ' 0 " + 228 ' 0 ") / 2 X (28 ' 0 " + 28 ' 0 ") / 2	12768.00	Sft		
		Total-	26656.00	Sft		
			2476.43	Sq	4.40	10896.00
2	5.1.44.3	Earth work by Rajashthani Tractor with bucket (Doli) with spreader in excavation of canals or dhar all types of works of embankments in proper profile and clod breaking and laying earth including rough dressing with a lead for above15 mtrs to 30 mts C.G to C.G all complete as per specifications and directions of E/I.				
		No / Av.Length(L) / Av. Breadth (B) / Av. Depth(D)				
		1 X (220 ' 0 " + 196 ' 0 ") / 2 X (200 ' 0 " + 176 ' 0 ") / 2 X (5 ' 0 " + 5 ' 0 ") / 2	195520.00	Cft		
		Total-	195520.00	Cft	(A)	
			5537.13	Cu	116.50	645076.00
3	5.1.9	Earth work in filling for the maintanance of canals having minimum full supply discharge upto 28 cumecs and flood embankment in ordinary soil including clod breaking having earth in 225 mm layers and rough dressing of soil with all leads and lifts all complete as per specifications and directions of E/I.				
		No / Av.Length(L) / Av. Breadth (B) / Av. Depth(D)				
	E-W	2 X (276 ' 0 " + 248 ' 0 ") / 2 X (28 ' 0 " + 10 ' 0 ") / 2 X (6 ' 0 " + 6 ' 0 ") / 2	59736.00	Cft		
	N-S	2 X (256 ' 0 " + 228 ' 0 ") / 2 X (28 ' 0 " + 10 ' 0 ") / 2 X (6 ' 0 " + 6 ' 0 ") / 2	55176.00	Cft		
		Total-	114912.00	Cft	(B)	
		Balance Quantity- (A-B)	80608.00	Cft		
		Quantity of extra soil that is to be disposal by benifiseries at own cost-	2282.82	Cum		
4	Chapter -I Sl. No. 1703	Cost of 300 mm dia NP_2 Hume Pipe with collar as per IS 458-971 (including 13.5 % vat , 20 % OHC & CP and 1% cess for Inlet/ Outlet.				

Scanned with OKEN Scanner

S.No	Item	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
		No | Av.Length(L) | Av. Breadth (B) | Av. Depth(D)	16.00	Rft		
		2 X (8 ' 0 ") Total-	16.00	Rft		
			4.88	M	445.00	2172.00
5	5.6.1.3	Labour for laying, fitting and fixing 300 mm dia NP_2 pipe with collors in the level of grade as well providing approved jointing materials and joints properly filled to make the water proof all complete as per specifications and directions of E/I for I/Outlets.				
		Quantity vide item no. 4	4.88	M	303.70	1482.00
6	Carriage	Carriage of 300 mm dia NP_2 RCC Hume Pipe with collor & jointing materials including 1 % cess (2 km unsurfaced, 18 Km surfaced.)				
		1.01 X (1310.8 + 0 X 113.6 + 2 X 56.8 + 38 X 47.2) / 32.5)	4.88	M	100.01	488.00
					Sub Total-	660114.00
7		Deduct 13.04 % as C.P & O.H.Charge				86079.00
					Net Balance-	574035.00
					Say	570000.00

Total Estimated cost is Rs. Five Lacs Seventy Thousands only.

Sd/- 19/5/23
(Sanjay Kumar)
Junior Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna.

Sd/- 19/05/2023
A.E

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक–V

वित्तीय वर्ष 2025–26 में तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति/अतिपिछड़ी जाति) हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

सब्सिडी 70 प्रतिशत

क्र0	जिला	तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना इकाई लागत 5.72 लाख/युनिट (1 युनिट–0.4 एकड़)						कुल लक्ष्य	
		अति पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति			
		भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	10.00	40.04	8.00	32.03	0.00	0.00	18.00	72.07
2	भोजपुर	4.00	16.02	4.00	16.02	0.00	0.00	8.00	32.03
3	बक्सर	2.00	8.01	6.00	24.02	0.00	0.00	8.00	32.03
4	रोहतास	4.00	16.02	10.00	40.04	8.00	32.03	22.00	88.09
5	कैमुर	6.00	24.02	10.00	40.04	20.00	80.08	36.00	144.14
6	नालंदा	6.00	24.02	10.00	40.04	0.00	0.00	16.00	64.06
7	गया	8.00	32.03	10.00	40.04	0.00	0.00	18.00	72.07
8	जहानाबाद	4.00	16.02	4.00	16.02	0.00	0.00	8.00	32.03
9	अरवल	4.00	16.02	4.00	16.02	0.00	0.00	8.00	32.03
10	औरंगाबाद	4.00	16.02	10.00	40.04	0.00	0.00	14.00	56.06
11	नवादा	4.00	16.02	4.00	16.02	0.00	0.00	8.00	32.03
12	मुजफ्फरपुर	20.00	80.08	18.00	72.07	0.00	0.00	38.00	152.15
13	वैशाली	12.00	48.05	8.00	32.03	0.00	0.00	20.00	80.08
14	सीतामढ़ी	12.00	48.05	8.00	32.03	0.00	0.00	20.00	80.08
15	पु० चम्पारण	12.00	48.05	12.00	48.05	6.00	24.02	30.00	120.12
16	प० चम्पारण	15.00	60.06	14.00	56.06	18.00	72.07	47.00	188.19
17	शिवहर	4.00	16.02	4.00	16.02	0.00	0.00	8.00	32.03
18	सारण	6.00	24.02	4.00	16.02	0.00	0.00	10.00	40.04
19	सिवान	6.00	24.02	4.00	16.02	0.00	0.00	10.00	40.04
20	गोपालगंज	8.00	32.03	4.00	16.02	2.00	8.01	14.00	56.06
21	भागलपुर	10.00	40.04	8.00	32.03	4.00	16.02	22.00	88.09
22	बाँका	8.00	32.03	10.00	40.04	18.00	72.07	36.00	144.14
23	मुंगेर	8.00	32.03	4.00	16.02	4.00	16.02	16.00	64.06
24	लखीसराय	5.00	20.02	4.00	16.02	2.00	8.01	11.00	44.04
25	शेखपुरा	7.00	28.03	10.00	40.04	0.00	0.00	17.00	68.07
26	जमुई	20.00	80.08	20.00	80.08	36.00	144.14	76.00	304.30
27	खगड़िया	10.00	40.04	8.00	32.03	0.00	0.00	18.00	72.07
28	बेगूसराय	14.00	56.06	10.00	40.04	0.00	0.00	24.00	96.10
29	सहरसा	4.00	16.02	8.00	32.03	0.00	0.00	12.00	48.05
30	सुपौल	4.00	16.02	6.00	24.02	4.00	16.02	14.00	56.06
31	मधेपूरा	4.00	16.02	4.00	16.02	0.00	0.00	8.00	32.03
32	कटिहार	10.00	40.04	10.00	40.04	10.00	40.04	30.00	120.12
33	पूर्णियां	6.00	24.02	6.00	24.02	6.00	24.02	18.00	72.07
34	अररिया	8.00	32.03	6.00	24.02	0.00	0.00	14.00	56.06
35	किशनगंज	6.00	24.02	4.00	16.02	2.00	8.01	12.00	48.05
36	दरभंगा	10.00	40.04	4.00	16.02	0.00	0.00	14.00	56.06
37	मधुबनी	12.00	48.05	4.00	16.02	0.00	0.00	16.00	64.06
38	समस्तीपुर	12.00	48.05	18.00	72.07	0.00	0.00	30.00	120.12
	कुल योग	309.00	1237.236	300.00	1201.200	140.00	560.56	749.00	2998.9960

सरकार के संयुक्त सचिव

1983
07/05/2025